न्यायालय, समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, ...

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–विविध (आंनबाड़ी) वाद सं0–04/15 संजू देवी वनाम राज्य एवं अन्य (जिला प्रोग्राम पदा0,खगड़िया) 09/15–16

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
19.09.2017	**आदेश** उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 01/2014 संजू देवी वनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.08.2015 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में आंगनबाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिस जारी किया गया। अपील आवेदन में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी पोषक क्षेत्र पहाड़पुर आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–124 तेलौछ पंचायत, प्रखंड–चौथम के रहने वाली है और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन दी थी। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुखिया के मेल में आकर आम सभा के विरूद्ध जाकर मीना देवी का अवैध रूप से चयन किया गया। मीना देवी का चयन जाली प्रमाण पत्र के आधार पर आम सभा के विरूद्ध किया गया, इसलिए उनके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में विविध वाद सं0–25/2013 दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा इस मामले की जॉच की गयी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 18.08.2012 व 29.08.2012 को आम सभा किया गया। लेकिन वार्ड सदस्य द्वारा आम सभा निरस्त कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा बिना कागजात को देखे अवास्तविक आदेश पारित किया जो विधिसम्मत नहीं है तथा खारिज करने योग्य है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मीना देवी का चयन गलत रूप से मार्गदर्शिका के विरूद्ध किया गया जो संधारण योग्य नहीं है तथा कानून के विरूद्ध है। उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा यह नहीं देखा गया कि अपीलार्थी पिछड़ी जाति के पोषक क्षेत्र के बाहुल्य के है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग कर, सुनवाई कर अपील को स्वीकृत करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम को अपलार्थी को आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–124 पर चयन करने का निदेश देने का अनुरोध किया गया है ।	

दिनांक 03.01.2014 को दायर किया गया है, जो कानून के अन्तर्गत नहीं है और यह खारिज करने योग्य है।

उनका यह भी कहना है कि विविध वाद सं0–25/2013 दायर किया गया था जिसमें वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सहायिका पद के चयन हेतु निदेश दिया गया। उनका यह भी कहना है कि धानावती उ0 वि0 भुतौली मलपा से 1998 में नवम वर्ग पास की है।

अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय के पारित आदेश का परिशीलन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं अभिलेख में सलग्न कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 18.07.2012 एवं 29.08.12 को आम सभा का अयोजन किया गया था। दिनांक 18.07.2012 को आयोजित आम सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि "आम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने एक मत से कहा कि तीनों आवेदिकाओं से आवेदन लिखाकर या गिनती करवाकर परीक्षा ली जाय उसके बाद ही चयन की प्रक्रिया अपनाई जाय। साथ ही मार्गदर्शिका 2011 में ये भी साफ नियम नहीं है कि सहायिका हेतु अनुसूचित जाति की आवेदिका नहीं रहने पर पोषक क्षेत्र के बाहुलता वर्ग से चयन किया जाय या नहीं इसके लिए जिला के वरीय पदाधिकारी से निदेश/आदेश मिलने के बाद ही आगे चयन की कार्यवाही की जायेगी। फिर से आम सभा के बाद ही चयन किया जायेगा"।

दिनांक 29.08.12 के आयोजित आम सभा की कार्यवाही में अंकित किया गया है कि दो आवेदिकाओं संजू देवी पति ज्ञानदेव कुमार सिंह (पि0वर्ग) एवं मीना देवी पति रवीन्द्र साह (अति पि0वर्ग) उपस्थित हुई। मार्गदर्शिका 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति का सहायिका पद में चयन करना है। अनुसूचित जाति की आवेदिका इस पोषक क्षेत्र में नहीं है। ऐसी स्थिति में मीना देवी (अतिपि0वर्ग) की दावेदारी बनती है, लेकिन ग्रामीणों ने इसे मानने से इंकार किया, इसलिए सर्वसम्मति से किसी भी आवेदिका का चयन नहीं किया जा सका। इसी से विक्षुब्ध होकर संजू देवी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को आवेदन दिया गया जिसमें कहा गया कि मीना देवी के वर्ग नवम के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की सत्यता की जॉच रजिस्टर मंगाकर की जाय जो धानावती उच्च विद्यालय भूतौली मलपा खगड़िया का है। और उनका भी प्रमाण पत्र की सत्यता की जॉच की जाय और दोनों अभ्यर्थी से शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणिकता के सबूत में लिखित परीक्षा ली जाय। इस आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा विविध वाद सं0–25/2013 संजू देवी बनाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम में दिनांक 11.07.13 को आदेश पारित किया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया से जॉच करायी गयी। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार 18.08.12 तथा 29.08.12 को आम

19.10.12 द्वारा निदेश दिया गया कि जहाँ आमसभा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी, चयन प्रक्रिया रद्द की जाती है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा आम सभा पुनः नहीं की गयी है। पुनः आई.सी.डी.एस. निदेशालय के पत्रांक 2005 दिनांक 27.04.13 द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश है। इस निदेश के आलोक में सहायिका पद के चयन हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में कार्रवाई करें। मीना देवी की ओर से समर्पित कागजातों में संलग्न चयन पत्र की छाया प्रति के अवलोकन से पता चलता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के ज्ञाप सं0–456 दिनांक 21.09.13 से श्रीमती मीना देवी पति रविन्द्र साह ग्राम पहाड़चक (तेलौछ) पो0–ठाठा को कुर्मी टोला पहाड़चक के आंगनबाड़ी केन्द्र कुर्मी टोला पहाड़चक 124 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 22.08.13 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया गया है।

अपीलार्थी कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। दिनांक 05.09.17 को हाजरी देने के बाद भी पुकार पर अपीलार्थी अनुपस्थित पायी गयी। अपीलार्थी द्वारा गलत रूप से उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया गया है। अगली तिथि दिनांक 19.09.17 को भी अपीलार्थी अनुपस्थित पायी गयी। अपीलार्थी के अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि इस संबध में अपीलार्थी को और कुछ नहीं कहना है तथा अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि मीना देवी का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया गया है जो सम्यक तथा सही है और उक्त के आलोक में इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं अपीलार्थी के अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का यह दावा कि मीना कुमारी का नवमवर्ग का शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जाँच करायी जाय तथा दोनों की लिखित परीक्षा ली जाय स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि सहायिका के चयन के मार्गदर्शिका में लिखित परीक्षा लेने का कोई प्रावधान नहीं है। श्रीमती मीना कुमारी के नवम वर्ग के शैक्षणिक प्रमाण पत्र जाली है, इस सम्बन्ध में भी अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता 19/9/17
खगड़िया।

समाहर्त्ता 19/9/17
खगड़िया।

2

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3
	डी0 बी0 नं0 414 / विधि, दिनांक 6/11/2017 - प्रतिलिपिः–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 6/11/17 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 6/11/17	